COURT FEE — INDIA — TWENTY RUPEES — CANCELLED

न्यायालय सम्मानीय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प, सागर म.प्र.

न/अपील/सागर/भू.रा./2017/4068

नंदराम सिंह उम्र करीब 27 साल वल्द श्री प्रहलाद,
सिंह दांगी ठाकुर निवासी ग्राम लुहारी,
तहसील व जिला सागर म.प्र. -- अपीलार्थी

विरूद्ध

प्रकाशचन्द्र पिता जीवनलाल जैन,
निवासी- ग्राम लुहारी हाल निवास प्रभाकर नगर,
मकरोनिया रेल्वे फाटक के पास, सागर म.प्र. -- प्रतिअपीलार्थी

B-O-R.
27 SEP 2017

अपील अन्तर्गत धारा 44 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्र. क्रं. 1205-अ/6 वर्ष 16-17 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 04/09/2017 से दुखित होकर अन्य आधारों सहित निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की गई है :-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, मौजा लुहारी प.ह. नं. 87/23 रा. निरी. मंडल नरयावली तह. सागर में अपीलार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 46/2/47, 50/2 एवं 50/3 रकबा क्रमशः 0.24, 0.10, 0.40, 0.40 हेक्टेयर स्थित है, उसी से लगी हुई पड़ोसी कृषक प्रकाशचन्द्र (प्रतिअपीलार्थी) की कृषि भूमि है, पड़ोसी कृषक ने चोरी छिपे अपीलार्थी का नक्शा बंदोवस्त त्रुटि दर्शाते हुये श्रीमान् अपर कलेक्टर सागर के प्रकरण राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक 80अ/6अ वर्ष 2010-11 आदेश दिनांक 04/06/2012 द्वारा अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाये तथा उसे बिना सुने दुरूस्त करा लिया । अपीलार्थी को उक्त दुरूस्ती की जानकारी तब हुई, जब पड़ोसी कृषक ने अपने

नंदराम सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/अपील/सागर/भू.रा./2017/4068 **जिला** – सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14 –11–17	आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण क. 1205/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील लगभग 5 वर्ष के विलंब से पेश की गई है। उक्त अपील को अपर आयुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के अनेक न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर अत्याधिक विलंब से प्रस्तुत किया जाना मानते हुए तथा आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत करने का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाने के कारण समयावधि के बिन्दु पर निरस्त किया गया है। इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक की ओर से कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण अधीनस्थ न्यायालय में अपील विलंब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में नहीं बताए जा सके हैं। ऐसी स्थिति में इस निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। 2/ पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	